CNR No. UPJP010003882011
स्टेट बनाम राजाराम

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, जौनपुर ।
उपस्थितः– अनिल कुमार यादव–I (एच०जे०एस०)

सी.एन.आर. संख्या– UPJP010003882011
सत्र परीक्षण सं0– 238/2011
राज्य ..... प्रति .....1–राजाराम राजभर पुत्र स्व० खखन्नू
निवासी ताखा पश्चिम, थाना शाहगंज, जौनपुर।
मु0 अ 0 सं0–1246/2010
धारा–323, 504, 324, 307 भा०दं०सं०
थाना–शाहगंज, जिला जौनपुर।

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले का विचारण मु0 अ 0 सं0–1246/2010 अन्तर्गत धारा–323, 504, 324, 307 भा०दं०सं० विरूद्ध अभियुक्त राजाराम राजभर थाना शाहगंज, जौनपुर के मामले में विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र पर किया जा रहा है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा सरदार यादव द्वारा थाना शाहगंज, जिला जौनपुर में जुबानी सूचना इस आशय की दी गयी कि प्रार्थी अपने धान के खेत में पानी ले जा रहा था कि प्रतिवादी नहर का पानी जो अपने खेत में ले जा रहा था, गाली–गुप्ता देते हुए कहने लगा कि साले तुम भी पानी अपने खेत में ले जाने लगे। प्रार्थी ने गाली देने से मना किया तो प्रतिवादी राजाराम राजभर प्रार्थी को लाठी–डण्डा व हाथ में लिये हुए फावड़ा से मारे जिससे चोटें आयी हैं। मौके पर गवाहों ने देखा व बीच–बचाव किये। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि विपक्षी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने की कृपा करें।

3. वादी मुकदमा सरदार यादव द्वारा दी गयी मौखिक सूचना के आधार पर थाना शाहगंज, जौनपुर में एन.सी.आर.सं०–205/2010 अन्तर्गत धारा–323, 504 भारतीय दण्ड संहिता अभियुक्त राजाराम राजभर के विरूद्ध पंजीकृत की गयी। वादी की एक्स–रे/मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर विवेचक द्वारा एन.सी.आर. 205/2010 को मु०अ०सं० 1246/2010 अन्तर्गत धारा 323, 504, 324 भा०दं०सं तरमीम किया। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया और मामले की सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त सकंलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राजाराम राजभर के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–323, 504, 324, 307 भा०दं०सं० प्रेषित करते हुए विवेचना समाप्त की गयी।

4. धारा 207 दं०प्र०सं० के अनुपालन के उपरान्त मामला सत्र परीक्षणीय होने पर ए०सी०जे०एम० प्रथम, जौनपुर द्वारा दिनांक 31.05.2011 को अभियुक्त की पत्रावली सत्र न्यायालय उपार्पित की गयी।

5. दिनांक 08.07.2011 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजाराम राजभर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 307, 323, 504 भा०दं०सं० आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की मांग की।

6. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षी प्रस्तुत कराये गये है–

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, मेडिकल साक्षी व अन्य साक्षी)

Digitally signed by ANIL KUMAR YADAV
Date: 2026.03.28 16:41:03 IST
Reason: Judgment
Location: District and Sessions Court
Jaunpur

1.	पी०डब्लू० 1 सरदार यादव	वादी मुकदमा
2.	पी०डब्लू० 2 सभाराज उर्फ सभाजीत	वादी का भाई
3.	पी०डब्लू० 3 डॉ० राजेन्द्र कुमार	चोटहिल/वादी की आघात आख्या को साबित किया।
4.	पी०डब्लू० 4 डॉ० जीतलाल	एक्स–रे रिपोर्ट व फोटो फिल्म साबित किया।
5.	पी०डब्लू० 5 निरीक्षक चन्द्रेश यादव	नक्शा नजरी, कायमी जी.डी., आरोपपत्र, एन.सी.आर. की प्रमाणित प्रति, एन.सी.आर. की कायमी जी.डी., तरमीमी एन.सी.आर. को साबित किया।

अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया। तद्नुसार अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

7. अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये–

क्रम संख्या	**प्रदर्श क्रमांक**	**विवरण**
1.	प्रदर्श क–1	आघात आख्या चोटहिल सरदार यादव
2.	प्रदर्श क–2	एक्स–रे रिपोर्ट सरदार यादव
3.	प्रदर्श क–3	नक्शानजरी
4.	प्रदर्श क–4	कायमी जी.डी.
5.	प्रदर्श क–5	आरोपपत्र
6.	प्रदर्श क–6	कार्बन प्रति एन.सी.आर.
7.	प्रदर्श क–7	एन.सी.आर. कायमी जी.डी.
8.	प्रदर्श क–8	एन.सी.आर. तरमीमी
9.	वस्तु प्रदर्श–1	एक्स–रे फोटो फिल्म

8. दिनांक 28.11.2025 को अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया तथा अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 लगायत पी०डब्लू० 4 के बयान के सम्बन्ध में गलत बयान देने का कथन किया। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 5 के बयान के सम्बन्ध में गलत विवेचना किये जाने का कथन किया है। अभियुक्त द्वारा मुकदमा रंजिशन व झूठा होने का कथन किया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य देने का कथन करते हुए निर्दोष होने तथा कोई अपराध कारित न किये जाने का कथन किया।

9. दौरान बहस अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को लाठी–डण्डा व फावड़े से जानलेवा हमला कर चोटें पुहंचायी गयी तथा वादी मुकदमा को भद्दी–भद्दी गालियां भी दी गयी। अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त पर लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा 323, 504, 307 भा०दं०सं० संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर संहिता में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जाए।

10. बचाव पक्ष की तरफ से तर्क दिया गया कि अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। चोटहिल के शरीर पर पायी गयी चोटे अत्यन्त सूक्ष्म प्रकृति है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त पर लगाए गए आरोप सन्देह से परे साबित नहीं होते। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाए।

11. मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी तथा बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

12. आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पर अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध करने वास्ते आरोपित अपराध को सन्देह से परे सिद्ध करने का दायित्व होता है।

अभियोजन के द्वारा पत्रावली पर उक्त दायित्व के निर्वहन में परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू01 वादिनी **सरदार यादव(वादी/चोटहिल)** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनाँक 07.10.2010 को समय 7.30 बजे सुबह की है। सुबह घर से उठकर मैं खेत में गया। देखा, तो नहर में पानी आ रहा था। मैंने माइनर नहर से पानी खोलकर अपने धान की सिंचाई करने लगा। इतने में राजाराम भद्दी–भद्दी गाली देते हुए अपने हाथ में फावड़ा लिये हुये आये कहे कि मैं पानी अपने लिये बाँधा था। तुम क्यों खोल लिये। मैंने गाली देने से मना किया तो वह फरसा तान लिये। राजाराम ने फरसा तानकर जान से मारने की नीयत से मेरे सर पर मार दिया। फरसा मेरे सर पर लगा, जिससे मैं गिर पड़ा। इतने में अच्छेलाल यादव व मेरे भाई सभाराज यादव आ गये। किसी तरह तब हमारी जान बची। मुल्जिमान राजाराम जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। तब वे लोग मुझे थाना कोतवाली शाहगंज लाये। घटना के बारे में मैंने जुबानी थाने पर बताया था। दरोगा जी ने मेरा दस्तख्त कराया था, जब मैंने जुबानी सूचना दिया था। इसके बाद पुरुष चिकित्सालय शाहगंज गया, जहाँ मेरी चोटों का डाक्टरी मुआइना हुआ। जो जुबानी सूचना मैंने थाने पर दिया था, थाने पर अंकित किया गया था। मेरा हस्ताक्षर कराया गया था, जिसकी नकल मुझे दी गयी थी। नकल मुझे इस समय मिल नहीं रही है, जिसकी छायाकॉपी पत्रावली में संलग्न है। जिस पर मेरा हस्ताक्षर है। चिरैया मोड़ से बिलारमऊ एक पक्की सड़क है। माइनर उत्तर–दक्खिन है। माइनर के पूरब तरफ खड़ंजा है, खड़ंजा के पहले रास्ता था। घटनास्थल पर घटना के समय खड़ंजा नहीं था, बल्कि कच्चा रास्ता था। मेरे चक से अभियुक्त राजाराम की चक उत्तर है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था। मेरा एक्स–रे हुआ था।

अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू02 के रूप में **सभाराज उर्फ सभाजीत** को परीक्षित किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनाँक 07.10.2010 को समय 7.30 बजे सुबह की है। मैं अपने खेत, जो ताखा पूरब ग्राम में स्थित है, खेत के पूर्वी मेड़ पर खड़ा होकर खेत देख रहा था। मेरे बड़े भाई सरदार यादव भी खेत में गये थे। जो धान की सिंचाई के लिये माइनर से पानी खोल कर खेत की सिंचाई कर रहे थे। नहर का माइनर मेरे खेत के पश्चिम है। मेरे खेत के बगल में राजाराम का भी खेत है। राजाराम गाली देता हुआ फावड़ा लेकर आया और कहा कि तुम पानी क्यों खोले हो तो बड़े भाई बोले कि गाली मत दो। तो राजाराम फावड़ा से तानकर मेरे बड़े भाई को मार दिया जब मेरा भाई जोर से चिल्लाये कि मेरी जान गयी, तब मैं दौड़ता हुआ आया। बगल के खेत में काम कर रहे अच्छेलाल यादव भी आ गये व अगल–बगल के और लोग भी आ गये। सबको आता देखकर राजाराम फावड़ा लेकर भाग गया। यदि मैं व अच्छेलाल न पहुँचते तो राजाराम मेरे भाई सरदार को जान से मार देता। मेरे बड़े भाई रह–रहकर बेहोश हो जा रहे थे। मेरे बड़े भाई के सर में चोट लगी थी। खून बह रहा था। मैं अपने बड़े भाई को लेकर कोतवाली आया। मेरे भाई कोतवाली में जुबानी बताये, तो दरोगा जी चोट देखकर एक सिपाही के साथ अस्पताल दवा इलाज कराने हेतु भेज दिये। राजाराम जान से मारने की नीयत से फावड़ा से मेरे बड़े भाई को मारा था। विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू03 के रूप में **डॉ० राजेन्द्र कुमार** को परीक्षित किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मैं दिनाँक 07.10.2010 समय 10 बजे सुबह चोटहिल सरदार यादव शाहगंज पुलिसकर्मियों द्वारा घायल अवस्था में लाया गया था। मैंने उसकी चोटों का

मेडिकल परीक्षण किया। मेडिकल परीक्षण में पहचान के रूप में मजरूब सरदार यादव के पीठ पर दाहिने तरफ एक काला तिल था। मजरूब के दाहिने माथे पर 7 सेमी० x 0.5 सेमी० x 0.7 x बोनकट, जिसकी लम्बाई 4 सेमी० x 0.3 सेमी० x 2 सेमी० इनसाइज रूख आड़े तिरछे जिसके नीचे की लम्बाई दाहिने आँख के भौं से 3 सेमी० ऊपर था चोट नं० 2 बायें अंगूठे में दर्द बता रहा था। मेरी राय में चोट नं० 1 को निगरानी में रखते हुए उसे एक्स–रे की सलाह दी गयी और जिला अस्पताल जौनपुर रेफर किया गया। चोट ताजी थी। मजरूब का मेडिकल करने के पश्चात् मैंने उसका डाक्टरी मुआयना अपने लेख हस्ताक्षर में तैयार किया तथा चोटहिल के बांये अंगूठे का निशान लगवाकर हस्ताक्षरित किया। डाक्टरी मुआयना शामिल मिसिल कागज संख्या 6 क है जिस पर मैं अपने लेख हस्ताक्षर को प्रमाणित करता हूं। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मजरूब को आयी चोट फावड़ा द्वारा कारित की गयी हो सकती है।

अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू04 के रूप में **डॉ० जी० लाल** को परीक्षित किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनाँक 09.10.2010 को मैं बतौर परामर्शदाता रेडियोलॉजिस्ट जिला चिकित्सालय, जौनपुर में कार्यरत था। उक्त दिनाँक को मैंने मजरूब सरदार यादव के स्कल का एक्स–रे अपनी देख–रेख में कराया और तैयार एक्स–रे प्लेट के आधार पर रिपोर्ट तैयार किया। रिपोर्ट की मूल प्रति पत्रावली में का०सं०–8 क/1 संलग्न है। यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, इस पर मजरूब सरदार यादव के पहचान का चिन्ह अंकित है। बाँया अंगूठा निशानी निशानी लगा है और मेरे द्वारा प्रमाणित है। एक्स–रे निमित्त चिकित्साधिकारी गवर्नमेण्ट हॉस्पिटल शाहगंज ने प्रेषित किया था। एक्स–रे रिपोर्ट पर प्रदर्श क–2 डाला गया। एक्स–रे प्लेट पर वस्तु प्रदर्श क–1 डाला गया। मजरूब सरदार यादव के स्कल का एक्स–रे सामान्य था।

अभियोजन की ओर से पी0 डब्लू05 के रूप में **चन्द्रेश यादव, उपनिरीक्षक** को परीक्षित किया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनाँक 07.10.2010 को मैं बतौर उपनिरीक्ष थाना शाहगंज, जौनपुर में तैनात था। उसी दिन वादी मुकदमा सरदार यादव के मौखिक सूचना पर एन.सी.आर. सं०–205/2010 अन्तर्गत धारा 323, 504 भा०दं०सं थाना शाहगंज अभियुक्त राजाराम राजभर के विरुद्ध दर्ज होकर मजरूबी पत्र के साथ मेडिको लीगल हेतु प्रेषित किया गया था। दिनाँक 21.11.2010 को मुकदमा अपराध सं०–1246/2010 अन्तर्गत धारा 323, 504, 324 भा० थाना शागहंज पंजीकृत होकर विवेचना मुझ उपनीरिक्षक को प्राप्त हुई व उसी दिन पर्चा नम्बर एक किता किया, जिसमें पंजीकृत एन.सी.आर. पंजीकृत सं०– 205/2010 धारा 323, 504 भा०दं०सं द्वारा कॉ० मोहर्रिर राम विलास तरमीम करके नकल कायमी मेडिकल रिपोर्ट, एक्स–रे प्लेट एवं रिपोर्ट ओ०पी०डी० व नकल रपट नं०–21 समय 8.30 बजे प्राप्त किया व एन.सी.आर. सं०–205 से हस्त दाखिला इंजरी रिपोर्ट एक्स–रे रिपोर्ट, एक्स–रे प्लेट मजरूब सरदार यादव के अवलोकन से सार्प वैपन से इंन्साइज्ड वुन्ड आना पाया गया। इसके आधार पर एन.सी.आर. नं०–205/2010 अन्तर्गत धारा 323, 504 भा०दं०सं पर जुर्म धारा 324 भा०दं०सं की बढ़ोत्तरी करके मुकदमा अपराध सं०–1246/2010 अन्तर्गत धारा 323, 324, 504 भा०दं०सं वादी सरदार यादव बनाम अभियुक्त राजाराम राजभर विवेचना शुरू की गयी व उसी दिन नकल एन.सी.आर. नं०–205/2010 अन्तर्गत धारा 323, 504 भा० नकल रपट कायमी एन.सी.आर. नकल दसकिरा तरमीम जुर्म, नकल मेडिकल रिपोर्ट, नकल एक्स–रे रिपोर्ट बयान वावी सरदार यादव लिया जो अपने ऊपर अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नीयत से फावड़े से जानलेवा हमले व घटना के समय अत्यधिक चोट से बदहोश हो जाने के कारण लिखित तहरीर न देने का बयान अंकित कराया व वादी मुकदमा को साथ लेकर घटनास्थल पर गया व वादी मुकदमा के निशानदेही पर घटनास्थल पर नक्शानजरी तैयार किया, जो पत्रावली पर उपस्थित कागज सं०–5 क मेरे लेख में है। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। उसी दिन समई साक्षी श्री बाबूराम, रामसूरत का बयान अंकित किया। दिनाँक 22.11.2010 को पर्चा नम्बर दो किता किया। जिसमें अभियुक्त राजाराम राजभर की गिरफ्तारी कर अभियुक्त राजाराम का बयान अंकित किया। उसी दिन पर्चा नम्बर 2A

किता किया, जिसमें बयान प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अक्षय लाल यादव का लिया, जिसने अपने बयान में बताया कि अभियुक्त राजाराम ने सरदार यादव के सिर के दाहिने भौं व कान के ऊपर लम्बी चोट फावड़े की धार से की थी, जिसमें काफी खून बहा था। जिससे सरदार यादव रह–रहकर बेहोश हो जाता था। उसी डाक्टर राजेन्द्र कुमार मेडिकल ऑफिसर राजकीय पुरुष चिकित्सालय शाहगंज, जौनपुर का बयान लिया। जिन्होंने अपने बयान में चोटहिल सरदार यादव के ललाट पर दाहिने भौं के तीन सेन्टीमीटर ऊपर सात सेन्टीमीटर X0.5 सेमी० X 0.7 X बोनकट व 04 सेमी० X 03 सेमी० X 02 सेमी० इन्साइज्ड वुन्ड आयी थी, जिसे डाक्टर अपने बयान में प्राणघातक होना व एक्स–रे हेतु सलाह देने की बात बतायी। इस प्रकार बयानात गवाहान एवं बयान चिकित्साधिकारी के आधार पर धारा 307 भा०दं०सं का अपराध होना पाते हुए अभियोग में धारा 307 भा०दं०सं की बढ़ोत्तरी की गयी व रोजनामचा आदि के रपट नं०–45 समय 20.25 बजे दिनाँक 22.11.2010 पर धारा बढ़ोत्तरी का उल्लेख किया गया व अग्रिम विवेचना अन्तर्गत धारा 323, 324, 504, 307 भा० में की गयी। उक्त नकल रपट नं०–45 तरमीम जी०डी० पत्रावली में उपलब्ध कागज सं०–9 क/4 प्रमाणित प्रतिलिपी के रूप में उपलब्ध है। जिसकी मैं पहचान करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया है। दिनाँक 30.11.2010 पर्चा नम्बर तीन किता किया, जिसमें बयान गवाह प्रत्यक्षदर्शी गवाह सभाराज यादव का साक्ष्य लेकर अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का तलाश किया जो दश्तमाब नहीं हुए तब तक की तमामी विवेचना बयान वादी/मजरूब बयान गवाहान निरीक्षण घटनास्थल, मेडिकल रिपोर्ट, बयान चिकित्साधिकारी व अन्य संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राजाराम राजभर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 323, 504, 324, 307 भा०दं०सं का अपराध बखूबी आयत पाते हुए जरिये आरोपपत्र सं०–149/2010 दिनाँक 30.11.2010 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया था। गवाह को पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं०–4 क दिखाया गया तो गवाह ने उसे देखकर कहा कि यह वही आरोपपत्र है, जिसे विवेचनोपरान्त अभियुक्त राजाराम के खिलाफ मैंने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार किया था। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान करता हूँ। जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। दिनाँक 02.01.2011 को सप्लीमेन्ट्री पर्चा नं०–1 किता कर बयान लेखक एफ०आई०आर० हेड मोहर्रिर गोकर्ण राम व कॉ० मोहर्रिर राम विलास अंकित कर पर्चा माननीय न्यायालय प्रेषित किया। उक्त एन.सी.आर. की प्रमाणित प्रति पत्रावली में उपलब्ध कागज सं०–3 क तत्कालीन हेड मोहर्रिर गोकर्ण राम के लेख व हस्ताक्षर में है। उनकी नियुक्ति मेरे साथ थाना शाहगंज में थी। जिनके लेख व हस्ताक्षर को जानता व पहचानता हूँ। उक्त लेख व हस्ताक्षर गोकर्ण राम के है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। उक्त एन.सी.आर. की कायमी जी.डी. पत्रावली पर उपलब्ध कागज सं०–10 क/3 कॉ० मोहर्रिर गोकर्ण राम के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचान करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया। उक्त एन.सी.आर. की तरमीम व मुकदमें की कायमी मुकदमा अपराध सं०–1246/2010 अन्तर्गत धारा 323, 504, 324 भा०दं०सं दिनाँक 21.11.2010 जी०डी० नं० 9 समय 6.40 बजे कॉ० मोहर्रिर राम विलास के लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं पहचान करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया।

13. अभियोजन द्वारा अभियुक्त राजाराम राजभर के विरूद्ध लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 307, 323, 504 भा०दं०सं० को साबित करने के लिए यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 07.10.2010 को समय लगभग 7.30 बजे सुबह वादी मुकदमा को जान से मारने के आशय से फावड़े से मारपीट कर साधारण/प्राणघातक चोंटे पुहंचायी गयी और वादी मुकदमा को भद्दी–भद्दी गालियां व जान से मारने की धमकी दी गयी।

14. जहां तक अभियुक्त राजाराम राजभर पर लगाये गए आरोप अन्तर्गत धारा 307, 323 भा०दं०सं० का प्रश्न है, अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण पर लगाये गये उक्त आरोप को साबित करने के लिए तथ्य के साक्षी के रूप में कुल 02 साक्षी पी०डब्लू० 1 सरदार यादव (वादी मुकदमा), पी०डब्लू० 2 सभाराज उर्फ सभाजीत यादव को परीक्षित कराए गए है।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू01 सरदार यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनाँक 07.10.2010 को समय 7.30 बजे सुबह की है। सुबह घर से उठकर मैं खेत में गया। मैं माइनर नहर से पानी खोलकर अपने धान की सिंचाई करने लगा। इतने में राजाराम भद्दी–भद्दी गाली देते हुए अपने हाथ में फावड़ा लिये हुये आये कहे कि मैं पानी अपने लिये बाँधा था, तुम क्यों खोल लिये। मैंने गाली देने से मना किया तो वह फरसा तान लिये। राजाराम ने फरसा तानकर जान से मारने की नीयत से मेरे सर पर मार दिया। फरसा मेरे सर पर लगा, जिससे मैं गिर पड़ा। पुरुष चिकित्सालय शाहगंज में मेरी चोटों का डाक्टरी मुआइना हुआ। मेरा एक्स–रे भी हुआ था।

अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू02 **सभाराज उर्फ सभाजीत** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना दिनाँक 07.10.2010 को समय 7.30 बजे सुबह की है। मैं अपने खेत, जो ताखा पूरब ग्राम में स्थित है, खेत के पूर्वी मेड़ पर खड़ा होकर खेत देख रहा था। मेरे बड़े भाई सरदार यादव भी खेत में गये थे। जो धान की सिंचाई के लिये माइनर से पानी खोल कर खेत की सिंचाई कर रहे थे। नहर का माइनर मेरे खेत के पश्चिम है। मेरे खेत के बगल में राजाराम का भी खेत है। राजाराम गाली देता हुआ फावड़ा लेकर आया और कहा कि तुम पानी क्यों खोले हो तो बड़े भाई बोले कि गाली मत दो। तो राजाराम फावड़ा से तानकर मेरे बड़े भाई को मार दिया जब मेरा भाई जोर से चिल्लाये कि मेरी जान गयी, तब मैं दौड़ता हुआ आया। बगल के खेत में काम कर रहे अच्छेलाल यादव भी आ गये व अगल–बगल के और लोग भी आ गये। सबको आता देखकर राजाराम फावड़ा लेकर भाग गया। मेरे बड़े भाई रह–रहकर बेहोश हो जा रहे थे। मेरे बड़े भाई के सर में चोट लगी थी। खून बह रहा था। राजाराम जान से मारने की नीयत से फावड़ा से मेरे बड़े भाई को मारा था।

15. इस प्रकार उक्त अभियोजन साक्षियों ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्णतया समर्थन करते हुए कि दिनांक 07.10.2010 को समय सुबह 7.30 बजे अभियुक्त राजाराम के द्वारा वादी मुकदमा सरदार यादव को फावड़े से मारपीट कर साधारण/प्राणघातक चोंटे पहुचाए जाने का कथन किया है। साक्षी पी०डब्लू० 2 सभाराज उर्फ सभाजीत यादव द्वारा वादी मुकदमा सरदार यादव के रह रह कर बेहोश हो जाने का कथन अपने साक्ष्य में किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से परीक्षित उक्त साक्षियों से विस्तृत जिरह की गयी है। जिरह के दौरान भी उक्त साक्षियों ने अभियोजन कथानक के अनुरूप कथन किये है। यद्यपि साक्षियों के बयानों में कुछ जगहों पर विरोधाभाष विद्यमान है, लेकिन वे अत्यन्त सूक्ष्म प्रकृति के है जो समयान्तराल में साक्षियों की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आना स्वाभाविक है। बचाव पक्ष की ओर से तर्क के दौरान इस बिन्दु पर विशेष बल दिया गया और साक्षियों के बयानों में कई जगहों पर विरोधाभाष इंगित किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। इनके बयानों में ऐसा कोई विरोधाभाष नहीं पाया जाता जिससे मामले गर विपरीत प्रभाव पड़ता हो।

बचाव पक्ष की ओर से तर्क किया गया है कि वादी/चोटहिल के शरीर पर पायी गयी चोट अत्यन्त सूक्ष्म प्रकृति की है। चोटहिल के शरीर पर पायी गयी सभी चोटे साधारण प्रकृति की होना दर्शित होती। अभियोजन की ओर से दाखिल आघात आख्या में चोटहिल सरदार यादव के शरीर पर कोई गंभीर/प्राणघातक चोंटे आना अंकित नहीं है न ही कोई चोट किसी घातक अथवा धारदार हथियार से आना दर्शित है। साक्षी पी०डब्लू० 3 डा० राजेन्द्र कुमार ने अपने साक्ष्य में दिनांक 07.10.2010 को चोटहिल सरदार यादव का मेडिकल परीक्षण किये जाने का कथन अपने साक्ष्य में किया है। उक्त साक्षी के अनुसार चोटहिल के शरीर पर एक मात्र जाहिरा चोट पायी गयी है, जो चोटहिल के दाहिने माथे पर 7 सेमी० x 0.5 सेमी० x 0.7 x बोनकट, जिसकी लम्बाई 4 सेमी० x 0.3 सेमी० x 2 सेमी० इनसाइज रूख आड़े तिरछे जिसके नीचे की लम्बाई दाहिने आँख के भौं से 3 सेमी० ऊपर था। चोट नं० 2 बायें अंगूठे में दर्द बताया गया है। साक्षी ने चोट सं० 1 के बाबत चोटहिल के सिर के एक्स–रे की सलाह दी गयी है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 डाक्टर जी.लाल के अनुसार मजरूब सरदार यादव के स्कल का एक्स–रे सामान्य था।

मेडकिल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श क–1 में चोटें की प्रकृति/वस्तु जिससे चोट पहुंचायी गयी, के सम्बन्ध में कोई अंकन नहीं है। चोटों की अवधि ताजी दर्शित की गयी है। अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 की ओर से चोट के कारण सरदार यादव को रह रह कर बेहोशी आ जाने का कथन अपने साक्ष्य में किया गया है। यद्यपि स्वयं चोटहिल व डाक्टर की ओर से ऐसा कोई कथन अपने साक्ष्य में नहीं किया गया है। जिरह के दौरान पेज संख्या 4 पर साक्षी पी०डब्लू० 1 सरदार यादव से धारा 161 में इस बाबत दिये गये बयान के सम्बन्ध में पूछे जाने पर उक्त साक्षी का कथन है कि **मैं बेहोश हुआ ही नहीं। यदि दरोगा जी ने लिखा है तो मैं इसकी कोई वजह नहीं बता सकता।** साक्षी पी०डब्लू० 3 डा० राजेन्द्र कुमार द्वारा सुझाव के दौरान यह कथित किया गया है कि यह कहना गलत है कि चोट नं० 1 प्राणघातक चोट है। साक्षी पी०डब्लू० 2 सभाराज यादव ने जिरह के दौरान पेज संख्या 3 पर यह कथन किया है कि जब मैं अपने भाई को कोतवाली ले कर गया तो बेहोश हो जाया कर रहे थे। मेरे भाई को मोटरसाइकिल पर पकड़ कर बैठे थे। वहीं का आदमी था, जिसका नाम मैं नहीं जानता। मोटरसाइकिल मैं चला रहा था। इस प्रकार साक्षी ने अपने साक्ष्य में उस व्यक्ति के नाम का कथन नहीं किया है जो उसके भाई को पकड़ कर मोटरसाइकिल पर बैठा था और न ही उक्त साक्षी को अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। ऐसी स्थिति में साक्षी पी०डब्लू० 2 सभाराज उर्फ सभाजीत द्वारा किया गया उक्त कथन कि चोट लगने से चोटहिल रह रह कर बेहोश हो जा रहा था, संदिग्ध हो जाता है।

पत्रावली पर उपलब्ध कार्बन प्रति एन.सी.आर. प्रदर्श क–6 में वादी द्वारा दी गयी सूचना में फावड़ा बेंत से चोटे आना अंकित है तथा मजरूबी चिट्ठी में चोट संख्या 1 सिर में खूनालूद होना अंकित है। चोटहिल के शरीर पर एक मात्र माथे पर जाहिरा चोट पायी गयी है। जिससे अभियुक्त का चोटहिल को जान से मारने का आशय दर्शित नहीं होता। साक्षी पी०डब्लू० 5 चन्द्रेश यादव द्वारा दौरान विवेचना कथित फावड़े की बरामदगी भी नहीं की गयी है।

अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू05 चन्द्रेश यादव (विवेचक) ने पत्रावली में संलग्न नक्शानजरी प्रदर्श क–3, तरमीमी जी.डी. प्रदर्श क–4, आरोपपत्र प्रदर्श क–5 को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना साबित किया है। साक्षी ने एन.सी.आर. की प्रमाणित प्रति प्रदर्श क–6, एन.सी.आर. की कायमी जी.डी. को हेड मो० गोकर्णनाथ के लेख व हस्ताक्षर व मुकदमे की कायमी मु०अ०सं० 1246/2010 को कां० रामविलास के लेख व हस्ताक्षर में होना साबित किया है। उक्त साक्षी ने पेज सं० 3 पर अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बयान चिकित्साधिकारी के आधार पर मुकदमें में 307 भा०दं०सं० की बढ़ोत्तरी की गयी। जबकि चिकित्साधिकारी डा० राजेन्द्र कुमार (पी०डब्लू० 3) ने अपने साक्ष्य में चोटों के प्राणघातक होने के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है। चोटों की प्रकृति साधारण/गंभीर के सम्बन्ध में भी साक्षी द्वारा कोई राय व्यक्त नहीं की गयी है।

16. उक्त विवेचना के आधार पर चोट की प्रकृति/संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त पर लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा–307 भा०दं०सं० संदेह से परे साबित नहीं होता है। चोट की प्रकृति व चोट कारित किये जाने में प्रयोग की जाने वाली वस्तु (फावड़ा) को देखते हुए अभियुक्त द्वारा कारित अपराध 324 भा०दं०सं० की परिधि में आता है। तद्नुसार अभियुक्त पर आरोप अन्तर्गत धारा–323 व 324 भा०दं०सं० संदेह से परे साबित है।

17. जहां तक अभियुक्त पर लगाये गये आरोप अन्तर्गत **धारा 504 भा०दं०सं०** का प्रश्न है, धारा 504 भा०दं०सं० का अपराध गठित होने के लिए अभियुक्त द्वारा किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करना व तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या यह संभावित जानते हुए प्रकोपित करना आवश्यक है कि ऐसे प्रकोपन से वह व्यक्ति लोकशान्ति भंग अथवा कोई अन्य अपराध कारित करेगा।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 सरदार यादव व पी०डब्लू० 2 सभाराज उर्फ सभाजीत यादव ने अपने साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा को भद्दी–भद्दी गालियां दिए जाने का कथन सरसरी तौर पर किया गया है। उनकी ओर से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष

निकाला जा सके कि अभियुक्त द्वारा साशय वादी पक्ष को अपमानित किया गया और तद्द्वारा उसे इस आशय से यह संभावित जानते हुए प्रकोपित किया गया कि ऐसे प्रकोपन से वह लोकशान्ति भंग अथवा अन्य कोई अपराध कारित करेगा।

CRIMINAL APPEAL No.- 1031 of 2000 Ram Lakhan & Another Vs. State Of U.P. अवधारित किया गया है कि के मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह Section 504 Indian Penal Code comprises of the following ingredients, viz., (a) intentional insult, (b) the insult must be such as to give provocation to the person insulted, and(c) the accused must intend or know that such provocation would cause another to break the public peace or to commit any other offence.

The intentional insult must be of such a degree that should provoke a person to break the public peace or to commit any other offence. The person who intentionally insults intending or knowing it to be likely that it will give provocation to any other person and such provocation will cause to break the public peace or to commit any other offence, in such a situation, the ingredients of Section 504 are satisfied. One of the essential elements constituting the offence is that there should have been an act or conduct amounting to intentional insult and the mere fact that the accused abused the complainant, as such, is not sufficient by itself to warrant a conviction under Section 504 I.P.C.

AIR 2014 SC 957, Fiona Shrikhande vs. State of Maharashtra and Anr.के मामले में इसी प्रकार का मत व्यक्त किया गया है।

उपरोक्त विवेचन व मा० न्यायालय द्वारा अवधारित उक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में अभियुक्त पर लगाया गया आरोप अन्तर्गत धारा 504 भा०दं०सं० सन्देह से परे साबित नहीं होता है।

18. उपरोक्त विवेचन के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि अभियुक्त राजाराम राजभर पर आरोप अन्तर्गत धारा– 323 व 324 भा०दं०सं० सन्देह से परे साबित है। तद्नुसार अभियुक्त उक्त आरोपों में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त राजाराम राजभर को सत्र विचारण संख्या 238/2011(मु०अ०सं०– 1246/2010) थाना शाहगंज, जिला जौनपुर के मामले में अपराध अन्तर्गत धारा 323 व 324 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त राजाराम राजभर को उस पर लगाए गए आरोप अन्तर्गत धारा 307 व 504 भा०दं०सं० सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित है। उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं। उसके जमानतनामें व बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं व प्रतिभूजन को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

सजा पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

<u>दिनांक–28.03.2026</u>

(अनिल कुमार यादव, प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जौनपुर।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 6112

दिनांक–28.03.2026

पत्रावली पेश हुई। दोषसिद्ध अभियुक्त राजाराम राजभर न्यायालय के समक्ष उपस्थित है।

अभियुक्त राजाराम राजभर के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त वृद्ध व्यक्ति है। **प्रकरण अति प्राचीन (लगभग 16 वर्ष) है।** अभियुक्त इस मामले में पूर्व में लगभग 2 माह जिला कारागार में निरूद्ध रहा है। उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किये जाने का अनुरोध किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क किया गया कि अभियुक्त को आरोपित धारा 323, 324 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध किया गया है। संहिता में उपबंधित प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाए।

दोषसिद्ध अभियुक्त राजाराम राजभर के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व वादी के विद्वान अधिवक्ता को सजा के बिन्दु पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

उभयपक्ष द्वारा किये गये तर्कों एवं मामले के तथ्य/परिस्थितियों व अभियुक्त पर आरोपित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उसे जेल में बितायी गयी अवधि व अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

दोषसिद्ध अभियुक्त राजाराम राजभर को सत्र विचारण संख्या 238/2011 (मु०अ०सं०–1246/2010) थाना शाहगंज, जिला जौनपुर के मामले में दोषसिद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 323 भा०दं०सं० में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास एवं 1,000/–रूपये (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड तथा धारा 324 भा०दं०सं० में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास एवं 6,000/–रूपये (छः हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड अदा न किए जाने की स्थिति में अभियुक्त को 02 माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

अदा की गयी अर्थदण्ड धनराशि में से मु० 5,000/– (पांच हजार रूपये) वादी सरदार यादव को देय होगी।

दिनांक–28.03.2026

(अनिल कुमार यादव, प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जौनपुर।
जे.ओ. कोड–यू.पी. 6112

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–28.03.2026

(अनिल कुमार यादव, प्रथम)
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जौनपुर।
जे.ओ. कोड–यू.पी. 6112